[हिन्दी]

खंड 2 नये खंड 11क का अंतःस्थापन

श्री राजो सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 9,–

"तीस" के स्थान पर

"साठ" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (1)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

खंड 3 पहली अनुसूची के स्थान पर नयी अनुसूची का प्रतिस्थापन

श्री राजो सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 32, पंक्ति 28,–

"10%" के स्थान पर

"40%" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.23 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–जारी

[अनुवाद]

510–23

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

अध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि जब माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, मैं सदन में उपस्थित नहीं था। मुझे गुट-निरपेक्ष आंदोलन में भाग लेने के लिए क्वालालम्पुर जाना था। लेकिन मैंने जहां तक संभव है माननीय सदस्यों के भाषणों को पढ़ने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर चर्चा अच्छी हुई। प्रारम्भ में एक सवाल को लेकर टीका-टिप्पणी हुई कि अभिभाषण बहुत लम्बा था। श्री सोमनाथ जी ने कहा कि केवल लम्बा ही नहीं, डैप्थ भी नहीं थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : लम्बा था, गहराई नहीं थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में गहराई कब से ढूंढ़ने लगे?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह 'वाजपेयी जी का फार्मूला' है, किसी भी, प्रश्न का उत्तर न देना !

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इससे सहमत नहीं हूं। अभिभाषण अच्छा है और अधिकाधिक विषयों का समावेश करता है। कठोर परिश्रम के लिए देश का आह्वान करता है, जिससे कि विकास की दर को बढ़ाने का जो हमारा लक्ष्य है, वह पूरा हो सके। मैं पूर्व राष्ट्रपतियों द्वारा दिए गए पुराने भाषणों को देख रहा था, जो वर्तमान अभिभाषण से भी लम्बे अभिभाषण थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ट्रांसलेशन नहीं था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन भाषणों को सुनने वाला मैं भी एक था। लेकिन मैं सहमत हूं कि सभी बातों का समावेश होना चाहिए, लेकिन संक्षेप में होना चाहिए और फिर किसी राज्य सभा के अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति महोदय के सामने कोई कठिनाई पैदा नहीं होनी चाहिए। जो विषय उठाए गए हैं, मैं एक–एक का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, सभी मुद्दों का उत्तर देना शायद संभव नहीं होगा।

देश में सूखा क्षेत्रों के बारे में बड़ी चिन्ता प्रकट की गई है। चिन्ता स्वाभाविक है। 14 राज्य सूखे से पीड़ित हैं और पीने के पानी की कमी हुई है। जानवरों के लिए चारे का अभाव रहा है। कई स्थानों पर लोगों को अपने घरों को छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ा है। लेकिन फिर भी यह बात स्वीकार की जानी चाहिए कि हमने इतने बड़े सूखे से उत्पन्न संकट पर नियन्त्रण प्राप्त करने में सफलता पाई है। कीमतें नहीं बढ़ी हैं। लोगों को अनाज पहुंचाने का पूरा प्रयत्न हुआ है। इसके लिए अन्त्योदय योजना का आश्रय लिया गया है। अब स्थिति यह है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लगभग छः करोड़ परिवारों में से अर्थात् 1.5 करोड़ परिवारों को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने का संकल्प लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति परिवार को 25 किलोग्राम प्रतिमाह की जगह 35 किलोग्राम प्रतिमाह दिए जाने के आदेश एक अप्रैल से दे दिए गए हैं। इसकी घोषणा वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में की थी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : साढ़े चार करोड़ परिवारों को क्यों छोड़ दिया?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे यह बोलना आसान है।

सोनिया जी ने एक प्रश्न उठाया है। मैं चाहूंगा कि सदन उस पर गम्भीरता से विचार करे। जो परिवार में नहीं हैं और जिनके पास आजीविका के कोई साधन नहीं हैं, वे बिखरे हुए हैं, बंटे हुए हैं, रोजगार मिलता नहीं है, मिलता है तो उस रोजगार को करने की स्थिति में नहीं हैं, उनका पेट किस तरह से भरा जाए? जब हम अन्न की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उनका भी विचार होना चाहिए। मैं इस संबंध में सभी दलों के नेताओं से विचार–विनिमय करना चाहूंगा। हम ऐसा रास्ता निकालें कि हमारे पास जो अन्न का भंडार है, उसके होते हुए जब लोगों के भूखे रहने की नौबत आती है तो लगता है कि कहीं न कहीं हमारे प्रबन्ध में कमी है, लेकिन अगर कमी है तो शासन की इतनी कमी नहीं है, जितनी परिस्थिति के कारण है।

रोजगार का प्रश्न बड़े पैमाने पर उठाया गया। उससे पहले मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं। इस सरकार ने राज्यों को अनाज देने के मामले में किसी प्रकार का कभी भेदभाव नहीं किया, न करेगी। यह मेरे लिए ईमानदारी का सवाल है। हम राजनीतिक आधार पर सूखा पीड़ितों को सहायता देने में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सरकार ऐसी नीति नहीं अपना सकती, न सरकार ने अपनायी है और ऐसी नीति अपनाना भी अमानुषिकता होगी। भूखे को भोजन चाहिए, सबका पेट भरे, हम इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन आरोप लगते हैं।

राजस्थान की बात हुई है। श्रीमती सोनिया गांधी ने राजस्थान के बारे में मुझे पत्र भी लिखा था। मैंने उनको उत्तर दिया। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मैं वे सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजस्थान को 29 लाख टन अनाज आवंटित किया गया जो सबसे अधिक है तथा यह सभी प्रदेशों के लिए आवंटित कुल अनाज का 44 प्रतिशत है, लेकिन हमने राजस्थान के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। वहां परिस्थिति ऐसी है। सबसे भयंकर परिस्थिति शायद अगर किसी प्रदेश में होगी तो वह राजस्थान में है, इसलिए बाकायदा सूखे के खिलाफ कदम

उठाने के पहले जब मैं राजस्थान गया था तो मैंने 50 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया था। लोगों ने कहा अभी सूखा है नहीं, सूखा घोषित नहीं हुआ है, आपने राजस्थान की मदद क्यों की? मैंने कहा कि मुझे लगता है कि यहां आसार बुरे हैं और आगे जाकर गम्भीर परिस्थिति होने वाली है। अगर तुलना करें तो 1987 के सूखे की तुलना में इस बार लगभग तिगुनी राहत सहायता पहुंचाई गई है। सूखा भी उससे ज्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह आरोप ठीक नहीं है कि अनाज आवंटित करने में देरी हुई है। हमारा प्रयास यह होता है कि जो पहली किस्त हम देते हैं, वह पूरी खत्म हो जाए या खत्म होने लगे और दूसरे की आवश्यकता हो जाए, मांग बढ़ने लगे तो दूसरी किस्त देनी चाहिए। पहली खेप पूरी तरह इस्तेमाल किए जाने से पहले ही दूसरा प्रस्ताव राजस्थान से आ गया। पहली खेप खत्म होने से पहले ही दूसरी खेप भेज दी गई। मजदूरी का खाद्यान्न घटक कम नहीं हुआ है। कुछ आंकड़े उपस्थित किए गए थे। सम्पूर्ण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन पांच किलो खाद्यान्न देने की बात है। परन्तु राजस्थान के अत्यधिक सूखाग्रस्त इलाकों में इसे 8 किलो कर दिया गया है जबकि अन्य खंडों में 6 किलो है। यह फर्क किया है, शायद इसके कारण कोई भ्रम पैदा होता हो, वह अब दूर होना चाहिए। इसका मापदंड यही है जो प्रदेश सरकार ने अपने स्पेशल पैकेज में मांगा था। अन्न देने के मामले में किसी प्रदेश सरकार से भेदभाव करें जबकि हमारे पास अन्न के भंडार भरे हुए हैं, मैं समझता हूं कि यह आलोचना भी देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाती नहीं है। सच्चाई तो यह है कि अन्त्योदय योजना दुनिया का सबसे व्यापक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है।

अध्यक्ष महोदय, सोनिया जी ने फूड सिक्यूरिटी की बात कही थी और उसमें एक प्रश्न पैदा हुआ जिसे मैंने सदन में उपस्थित किया है, उसका उत्तर हमें ढूंढ़ना पड़ेगा। दक्षिण में ऐसे मठ हैं जहां कोई भी जाकर भोजन कर सकता है। वे मठ सरकार के पैसे से नहीं, समाज के सहयोग से 24 घंटे काम करे हैं। यह उनकी परम्परा है और वे उसे निभा रहे हैं। समाज में जब तक इस तरह का जागरण नहीं होगा कि पड़ोस में कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, तब तक भूख का पूरी तरह निर्मूलन करना एक कठिन बात होगी।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आप कानून बनाइए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एक–चौथाई परिवारों को जो अनाज मिलेगा, वह 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल के आधार पर मुहैया कराया जाएगा। मैं वही सवाल फिर दोहराना नहीं चाहूंगा कि जिनके पास 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उनका क्या किया जाए? बड़े पैमाने पर काम शुरू किए गए हैं, राज्य सरकारों ने किए हैं।

'काम के बदले अनाज' इस योजना के अंतर्गत कई जगह अच्छे काम हुए हैं। मैं आंध्र प्रदेश का उल्लेख करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि वे हमारे गठबंधन में हैं। वह गठबंधन केवल बी.जे.पी. का गठबंधन नहीं है। सोनिया जी जब हमारा वर्णन करती हैं तो कहती हैं : 'भा.ज.पा. के नेतृत्व वाली सरकार'।

कई माननीय सदस्य : यह सही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सही तो है मगर जो और दल हैं, उन्हें इस तरह से अप्रतिष्ठित करके हमसे अलग करना चाहते हैं। यह जितने सरल ढंग से कह दिया गया, उतना सरल मामला नहीं है। 'भा.ज.पा. के नेतृत्व वाली सरकार'–यह मिली–जुली सरकार है, सफलता के साथ चल रही है, अपना समय पूरा कर रही है।...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि अनाज के मामले में...

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, मैं अत्यन्त बलपूर्वक कहना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में किए गए कार्य के बारे में उनका विचार पूर्णतः गलत है और निराधार है।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : आप कृपया जाइए और आंध्र प्रदेश में किए गए कार्य को देखकर आइए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : यहां तक कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी आंध्र प्रदेश में किए गए कार्य को देखने के लिए अपने दल राज्य में भेजे हैं। समाचार पत्रों में भी यह बात प्रकाशित हुई है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आपकी बारी समाप्त हो गई।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र

की आंध्र प्रदेश की सरकार के बारे में राय अलग है, इसके बारे में मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अगर वे इस विषय में बोलते नहीं, यह बात उनके खिलाफ जाती। 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रमों के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 8000 करोड़ रुपए का अनाज राज्यों को मुफ्त आवंटित किया गया है। इसके अलावा लगभग 5000 करोड़ रुपए की नकद सहायता भी दी गई है। सूखे से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसका हम सामना कर रहे हैं। सुझाव आमंत्रित हैं। अंत्योदय योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी जन–प्रतिनिधियों की भी है। संसद सदस्य अपने क्षेत्र में अगर कभी घूमकर एक नजर डाल लिया करें कि किस तरह से इस योजना का कार्यान्वयन हो रहा है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा लाभ होगा।

अध्यक्ष महोदय, देश की अर्थव्यवस्था बजट के साथ और समीक्षा के रूप में सामने आ गई है। कुछ अच्छे पहलू हैं जिनको ओझल नहीं किया जा सकता। विकास की दर घटी है। यह चिन्ता का विषय है और हम 8 फीसदी तक विकास की दर ले जाना चाहते हैं यह हमारा संकल्प है। लेकिन दो साल के सूखे के कारण कृषि के क्षेत्र में घाटा हुआ है जिसका कुल मिलाकर राष्ट्रीय आमदनी पर असर पड़ा है। फिर भी कुछ अच्छे चिह्न हैं। विदेशी मुद्रा 75 बिलियन डालर हो गई है, 1 मार्च की इकोनॉमी मैगजीन के अनुसार अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी के विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज्यादा है। इस साल 25 बिलियन डालर की वृद्धि हुई है जो लगभग उतनी है जितनी 1998 में हमारा कुल विदेशी मुद्रा भंडार था। स्थिति अच्छी है इसलिए जो कर्जा हमने लिया था, जो हमें बाद में वापस करना था, उसमें से कुछ हम अभी से वापस कर रहे हैं, पहले ही वापस कर रहे हैं। यह बताता है कि देश की स्थिति, देश का वातावरण इनवैस्टमेंट के लिए, पूंजी लगाने के लिए उपयुक्त है। विदेशी इसको स्वीकार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी संगठन भी इस बात को मान रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इस समय जब यह कहा जाता है कि पूंजी लगाने में लोग उत्साहित नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा तनाव है और इसके कारण पैसा लगाने में लोग हिचकेंगे, मेरा निवेदन है कि इस तरह की कोई कठिनाई अभी तक सरकार के सामने उपस्थित नहीं हुई है।

हमारे पास एटमी हथियार हैं, लेकिन हम एक उत्तरदायी राष्ट्र हैं, रिस्पॉन्सिबल पावर हैं, यह सारी दुनिया मानती है। किसी ने भारत के बारे में प्रश्न नहीं उठाए हैं। प्रश्न जो उठे हैं, वे पड़ोसी के बारे में उठ रहे हैं, लेकिन उसका उल्लेख करके यह कहा जाए कि यह ठीक नहीं है–तनाव हमने तो पैदा नहीं किया ! अब अगर पाकिस्तान से अमेरिका बातें नहीं मनवा सकता तो अमेरिका की दुर्बलता प्रकट होती है। अगर हमें दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं हो सका तो भविष्य के लिए अपनी नीति का निर्धारण करते हुए हम इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। लेकिन यह सोचना कि हम किसी पर विश्वास न करें ! हम लड़ाई टालने के हर विकल्प को अपनाने की कोशिश करते रहे हैं लेकिन जब अतिरेक हो गया था, जब सदन पर हमला हुआ और ऐसा लगा कि देश को इसका प्रतिकार करना पड़ेगा, उस समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर पड़ा। हमें भी आश्वासन दिए गए। पाकिस्तान से भी इस तरह से वक्तव्य आए जिनसे लगा कि वह आतंकवाद पर अंकुश लगाएगा और आर–पार जो आतंकवाद चल रहा है, उसको रोकेगा। वहां से जो तस्वीर आई, वह मिली–जुली तस्वीर थी। कभी ऐसा लगता था कि आतंकवाद की घटनाएं कम हो रही हैं। कभी ऐसा लगता था कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए हम सावधान की मुद्रा में थे।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : लेकिन आर–पार की लड़ाई नहीं हुई?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इसका भी उत्तर दूंगा। मैंने कहा था कि अगर लड़ाई होगी, तो आर–पार की लड़ाई होगी और यदि बिना लड़े ही अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, तो लड़ना जरूरी नहीं है।

हमने कूटनीतिक क्षेत्र में अपने विरोधियों को एक मात दी है। हमें विश्व का समर्थन मिला है, जो पर्याप्त नहीं है, लेकिन कुछ चिह्न अच्छे हैं और उनके भरोसे हमने आगे के लिए फैसले किए हैं। जब परिस्थितियों में जैसा परिवर्तन आएगा, उसके अनुसार हम काम करेंगे।

मैं, यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में जो चर्चा हुई, उसमें आतंकवाद के ऊपर अच्छी बहस हुई और आतंकवाद क्या है, कहां से शुरू हुआ है, इस पर बड़े अच्छे भाषण हुए। हमारे देश में भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। हमसे भी पूछा जाता है कि अगर अन्याय हो रहा हो, तो क्या आतंकवाद का सहारा लेना ठीक नहीं है? हम कहते हैं कि आतंकवाद अपने में बुरा है इसलिए किसी काम में उसका सहारा लेना, उस काम को भी गलत बनाने वाला है।

डा. महाथिर ने जो भाषण वहां दिया, मैं उसका एक अंश पढ़ना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"सचमुच विश्व अत्यन्त ही खतरनाक अव्यवस्था में है, स्थिति जो कि पूर्व पश्चिम टकराव, शीतयुद्ध के दौरान से भी खराब है। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद सभी बड़ी आशाएं नष्ट हो चुकी हैं। और आतंकवादी और प्रति–आतंकवादी एक–दूसरे के विरुद्ध आंख मूंदकर लड़ रहे हैं, सामान्य स्थिति लम्बे समय तक बहाल नहीं होगी।

निश्चित तौर पर, किसी चरण में हम स्वयं से पूछेंगे, विश्व को ऐसा क्यों हो रहा है। आतंकवाद क्यों है? क्या यह सच है कि मुस्लिम जन्मजात आतंकवादी हैं ! हम व्यवस्थित लूट, सर्वनाश और अनुपयोग जो लगभग 2000 वर्षों तक ईसाई यूरोप की विशेषता रही की व्याख्या कैसे करते हैं।

स्वयं ईसाई भी आतंकित किए गए थे, मुसलमानों के द्वारा नहीं अपितु ईसाइयों द्वारा ही जिन्होंने धर्मभ्रष्ट के रूप में उनकी भर्त्सना की।

इसलिए, यह नहीं हो सकता कि मुस्लिम ही सभी समस्याओं की जड़ हैं। यदि वे नहीं हैं तो क्या यह सभ्यता का संघर्ष है, जूडिया ईसाई सभ्यता के विरुद्ध मुस्लिम सभ्यता का संघर्ष है जो उत्तरदायी है?

स्पष्ट रूप से मैं ऐसा नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि यह पुराने यूरोपियों की विश्व में प्रभुत्व जमाने की इच्छा के लक्षण का पुनरुज्जीवित होना है। और इस विशेषता की अभिव्यक्ति में निश्चित तौर पर दूसरे जातीय मूलों और रंगों के लोगों के प्रति अन्याय और दमन है।"

[हिन्दी]

क्वालालम्पुर में जो देश एकत्रित हुए थे वे आतंकवाद की समस्या से गमगीन और गम्भीर रूप से चिन्तित थे। उनका इतनी बड़ी संख्या में आना और ज्वलन्त प्रश्नों के हल ढूंढ़ने के प्रयास करना, इस बात का प्रमाण है कि विश्व युद्ध के कारण एक ध्रुवीय विश्व बनने जा रहा है। उसकी जगह और भी ध्रुव अस्तित्व में आएं, तैयार हों, इसके लिए गम्भीर प्रयास हो रहा है। मैं समझता हूं कि आतंकवाद इस संबंध में कसौटी है।

इराक के संबंध में वहां जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसे आप देख सकते हैं। उसमें यह आशा व्यक्त की गई है कि इराक अपने सारे निश्चयों को कार्यान्वित करेगा। फिर उस पर लगी हुई जो कठोरताएं और बाधाएं हैं, उन्हें हटा लिया जाएगा, लेकिन जो भी विदेशी मेहमान इस समय भारत आ रहा है, उससे मैं पूछता हूं कि क्या लड़ाई होगी, कोई नहीं कहता कि नहीं होगी। हमने देश को इसके लिए तैयार किया है और देश को तैयार रहना भी चाहिए, क्योंकि गल्फ और खाड़ी के साथ हम जुड़े हुए हैं और हमारे हित जुड़े हैं। वहां 40 लाख के करीब लोग काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि इस सवाल पर अलग से चर्चा हो और अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे तो मुझे खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय, उस समय मैंने जो वक्तव्य दिया था, उसकी कापी मैं आपकी इजाजत से सभा पटल पर रखना चाहता हूं। नेम में मेरा जो भाषण था, उसकी प्रतिलिपि मैं सभा पटल पर रख रहा हूं। इसके साथ जो प्रस्ताव पास हुआ है, उसकी भी प्रतिलिपि मैं सभा पटल पर रख रहा हूं। क्वालालम्पुर जाने से पहले अनेक मित्रों से मेरा विचार–विनिमय हुआ था, लेकिन उस समय कोई मीटिंग औपचारिक ढंग से की जाती, इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई। ये मामले नाजुक हैं और हमारी कुटनीतिज्ञता की परीक्षा ले रहे हैं। इस संबंध में सारे देश और सदन को एक होकर आगे बढ़ना होगा और इस संकट का, जो विश्व का संकट बन रहा है, सामना करने में अपना योगदान देना होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : प्रधान मंत्री ने एक जानकारी दी। बातचीत के बाद, आपको विश्वास है कि इराक पर आक्रमण के प्रयास की संभावना है और भारतीयों को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। खाड़ी में 40 लाख भारतीयों का जीवन दांव पर है। अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हमारा क्या दृष्टिकोण है? निःसंदेह, हम सब एक साथ हैं, कोई समस्या नहीं है। किंतु आपका क्या दृष्टिकोण है? आज सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गवर्नमेंट अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है और फिर आवश्यकता होगी तो हम आपको सलाह–मशविरे के लिए बुला सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मगर हम नहीं समझते कि इस मामले में कोई बहुत मतभेद हैं, किन शब्दों में व्यक्त किया जाए, यही सवाल है। अब कहा

जा रहा है कि यह सवाल गुटनिरपेक्षता को स्वीकार नहीं करता, ये कैसे जानें और ये निष्कर्ष कैसे निकालें। जब मैं प्रतिपक्ष में था और यहां से नहीं, वहां से बोलता था तब भी मैं गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन करता था। यह ठीक है कि अब विश्व बदल गया है और शीतयुद्ध समाप्त हो गया है। अब दुनिया दो सैनिक खेमों में बंटी हुई नहीं है, मगर अब एक देश का प्रभुत्व, अन्य देशों को साथ आकर इसके बारे में गहराई से विचार करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हाल ही में, यूएसए के एक प्रमुख समाचार पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा कि दो पक्ष हैं। एक यूएसए है और दूसरा विश्व जनमत है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, मैं संशोधनों को लेने जा रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दो पक्ष हैं, एक यूएसए और दूसरा विश्व जनमत।

महोदय यूएसए सहित पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर जन विरोध किया जा रहा है। दूसरे देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी और रूस की निश्चित नीति सर्वविदित है। वे इराक को धमकी तथा युद्ध शुरू करने की तैयारी का विरोध कर रहे हैं। इस पर हमारा दृष्टिकोण क्या है? क्या आप पूरे विश्व में किए जा रहे उन विरोधों का समर्थन करते हैं?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सोमनाथ जी और इनकी पार्टी के विचारों से हम लोग अवगत हैं, लेकिन वे दूर तक चले जाते हैं। हम उतनी दूर तक जाने को तैयार नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : नहीं, इसमें जाना होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम कोई मध्यम मार्ग खोजते हैं और उसमें से रास्ता निकालते हैं, यह पुरानी नीति है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह कैसे हो सकता है कि यथास्थिति कैसे बनाई रखी जाए?...*(व्यवधान)* आपको स्पष्ट तौर पर यह अवश्य कहना चाहिए कि आपको हमारे विचार और चिंता को अभिव्यक्त करना चाहिए। उस स्थिति में आप बस चुपचाप नहीं बैठ सकते और यथास्थिति नहीं बनाए रख सकते। इसके पीछे एक बिलियन लोगों की आवाज है।

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल : इसमें कोई मध्यम मार्ग नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप चर्चा कर लें। नहीं, इसका सवाल नहीं है। मैं इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। बाहर जो लोग वहां हैं और उनको अगर वापस लाने की आवश्यकता पड़ी तो हम उसका इन्तजाम करेंगे। उनको खतरे में नहीं पड़ने देंगे, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। एक सवाल पर काफी बहस हुई है। केवल राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को लेकर नहीं, सवालों के दौर में भी और वह रोजगार की स्थिति है। कितने रोजगार अब तक सृजित हुए हैं, कितने लोगों को काम मिला है, जब मैंने उस दिन कहा कि मेरी गणना और मेरी जानकारी के अनुसार 70 लाख लोगों को काम मिला है तो उसको चुनौती दी गई। मैं इस पर बहस करने के लिए तैयार हूं। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है और यह संख्या 70 लाख की संख्या, अगर आप कहें तो मैं एक–एक आइटम पढ़कर दिखा सकता हूं कि किस क्षेत्र में कहां लोग काम पर लगे हैं। इसमें सरकार की योजनाएं भी हैं, गैरसरकारी जो विकास हुआ है, उसकी भी योजनाएं हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : लेकिन आपने हर साल एक करोड़ रोजगार देने की बात कही थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, बैठिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नौ लाख 60 हजार रोजगार के अवसर कंसट्रक्शंस में सृजित हुए हैं, व्यापार होटल आदि में 20.30 लाख परिवहन एवं संचार में 7.5 लाख हुए हैं। कुछ कमी आई है, मगर उसके बावजूद हमारे पास जो आंकड़े हैं, वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि 80 लाख के करीब, 70 लाख से ज्यादा रोजगारों का सृजन हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने बेरोजगारी का प्रश्न उठाया चाहे वह बेरोजगारी हो या आंशिक रोजगार हो। हम लोग प्रधान मंत्री एन.डी.ए. भाजपा

गठबंधन द्वारा दिए गए वचन का हवाला दे रहे थे। वास्तव में जब उन्होंने सरकार का गठन किया था उससे पहले उन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया था कि वे प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार देंगे। हमने उस दिन वही कहा। इसका मतलब है कि आप अब तक कम से कम साढ़े तीन करोड़ रोजगार दे चुके होंगे। आप उतना रोजगार दे सके होंगे।...*(व्यवधान)* यदि आपको अपना वचन निभाना है तो आपने साढ़े तीन करोड़ रोजगार दिया होगा। उस दिन हमारा यही प्रश्न था।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जब यह कहा गया था कि एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का हम प्रयास करेंगे तो उसका अर्थ यह नहीं था कि एक करोड़ रोजगार सरकार लोगों को बुलाकर दे देगी। क्या आप लोगों की यह मंशा है?

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : इसका क्या मतलब है? यह वचन लोगों को दिया गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी की बात सुनिए। जब आपके नेता ने प्रश्न किया है, प्रधान मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से करना और इस ढंग से करना कि रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। आखिर हम चाहते हैं कि सर्विसेज में लोग लगें, यह तो स्वतंत्र रूप से लगने की व्यवस्था है। मेरे पास फिर वही आंकड़े आए हैं, जो मेरे कथन की पुष्टि करते हैं।

[अनुवाद]

"2002–2003 में कुल रोजगार सृजन करीब 84 लाख है।"

अपराह्न 5.00 बजे

इसी प्रकार, पिछले वर्ष लगभग 79 लाख रोजगार का सृजन किया गया था, और उससे पहले वर्ष में 73 लाख से अधिक रोजगार का सृजन किया गया था।

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल : ये आंकड़े मिलते कैसे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह मेरी समझ में नहीं आता कि अगर सरकार कहे कि लोगों को रोजगार मिल रहा है और आप कहें कि नहीं मिल रहा, इसमें कौन सी राजनीति है?...*(व्यवधान)* यह कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? आप सरकारी आंकड़ों को चुनौती नहीं दे सकते।...*(व्यवधान)* वैसे यह पर्याप्त नहीं है, इसे मैं मानता हूं। आप कहें कि एक करोड काफी नहीं है, उससे भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो फिर हम आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उसमें से रास्ता निकालने की बात सोचेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : यह संख्या कम नहीं हुई है बल्कि वह उतनी की उतनी ही है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे याद है, रोजगार का सवाल इस संसद के जीवन में बार–बार उठता रहा है। व्यक्तिगत आमदनी कितनी होनी चाहिए लेकिन सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि गरीबी की रेखा के नीचे जिंदगी बिताने वालों की तादाद घटी है। ये सरकारी आंकड़े हैं।...*(व्यवधान)* अब आप इसे भी चुनौती दे रहे हैं। ये जो आंकड़े इकट्ठे करने वाली संस्था है, वह एक स्वतंत्र संस्था है। वह किसी दबाव में आकर काम नहीं करती।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : लेबर मिनिस्ट्री उसे मानने के लिए तैयार नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : देश में गरीबी बढ़ रही है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मुद्दा और उठाना है। जो नेता, प्रतिपक्ष की बात को लेकर है। "सरकार उग्रवाद को हमारे समाज की ओर केन्द्रित कर रही है।" यह वाक्य बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।...*(व्यवधान)* राजनीति करने के सौ रास्ते खुले हुए हैं। अंत में जनता फैसला करेगी, जैसा हिमाचल में किया और उससे पहले गुजरात में किया था।...*(व्यवधान)* कहां देश के बंटवारे की बात हो रही है, कहां देश को विघटित करने की साजिश हो रही है, कौन यह कर रहा है?...*(व्यवधान)* यह गलत है। आप उनको बढ़ा–चढ़ाकर बताते हैं इसीलिए ऐसा लगता है कि संकट बहुत बड़ा है। जो भी परिस्थिति हो, सरकार उसका सामना करने में समर्थ है क्योंकि जनता का सहयोग है। कभी भी देश सर्वधर्म समभाव का रास्ता नहीं छोड़ेगा। अब सोनिया जी को इस पर भी आपत्ति है कि सेक्युलरिज्म के बारे में एक वाक्य कह दिया। क्या एक वाक्य कहना काफी नहीं होता? जब पहली बार संविधान बना

था तो उमसें सेक्युलर शब्द लिखने के लिए भी नहीं था। ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : उस समय जरूरत नहीं थी। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां जरूरत नहीं थी इसलिए हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसमें जरूरत नहीं है। हम सेक्युलरिज्म का ढोल पीटें, मोर्चा बनाएं और सबको इकट्ठा करें, हमारे मित्र दलों को तोड़ें और घर में फूट डालें, यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)* इसमें आतंकवाद को लाना ठीक नहीं है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में हमारी स्थिति को बिगाड़ेगा। दुनिया वाले कहेंगे कि आपके यहां कोई आतंकवाद नहीं है, यह तो आपस की लड़ाई है जिसको आतंकवाद का रूप दे रहे हैं। क्या हम चाहते हैं कि यह कहा जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, हमने पोटा, जिसका इस समय दुरुपयोग किया जा रहा है और हर आदमी उसे स्वीकार करता है, छोड़कर आतंकवाद से संबंधित सभी मुद्दों पर उनका समर्थन किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, वह आपकी बात का उत्तर पूरा नहीं कर रहे हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, आप रनिंग कमेंट्री रोकिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे रोक दिया है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने काफी मुद्दों को स्पर्श किया है और मैं चाहूंगा कि राष्ट्रपति महोदय के लिए हम सब लोगों का यह धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री के वक्तव्य को सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

13वें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के बारे में क्वालालम्पुर के दौरे के संबंध में प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का वक्तव्य*

524c 27

24-25 फरवरी 2002

***प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)**

मैंने दिनांक 24 और 25 फरवरी को क्वालालम्पुर में आयोजित गुट–निरपेक्ष आंदोलन के 13वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया।

शिखर सम्मेलन का विशिष्ट विषय था–"गुट–निरपेक्ष आंदोलन का निरंतर सशक्तिकरण"। इस बात की व्यापक तौर पर आवश्यकता महसूस की गई है कि गुट–निरपेक्ष आंदोलन को बदलते अंतर्राष्ट्रीय माहौल के अनुरूप अपनी प्रासंगिकता को पुनः उजागर करना होगा। भारत का मानना है कि गुट–निरपेक्ष आंदोलन का महत्व हमेशा से इसलिए रहा है कि इसने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र विवेक और स्वायत्त कार्रवाई के लिए अपना पक्ष रखा है। यदि यह एक द्वि–ध्रुवीय विश्व के लिए आवश्यक था तो यह एक–ध्रुवीय विश्व में और भी अधिक जरूरी हो गया है। यदि गुट–निरपेक्ष आंदोलन को प्रासंगिक बनना है तो इसे मौजूदा वास्तविकताओं और समकालीन चुनौतियों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा।

शिखर सम्मेलन में दिए गए मेरे वक्तव्य में हमारी सोच और दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। उस वक्तव्य की एक प्रति सभा–पटल पर भी रखी जा रही है।

हमने सुझाव दिया था कि गुट–निरपेक्ष आंदोलन को अपने सदस्य राष्ट्रों के समान चिंता वाले प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए–ऐसे मुद्दों पर जो 116 देशों को आपस में जोड़ें न कि बांटें। गुट–निरपेक्ष आंदोलन को सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों में नहीं उलझना चाहिए।

हमने अपनी समस्त बातचीत में इस बात पर भी जोर दिया कि गुट–निरपेक्ष आंदोलन को बहुपक्षवाद, आतंकवाद का मुकाबला, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रणाली में सुधार, उत्तर–दक्षिण के बीच संवाद तथा दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर बल देते हुए एक सकारात्मक और भविष्योन्मुख एजेंडा अपनाना चाहिए। इसे

---

*13वें गुट–निरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलन में दिए गए अपने वक्तव्य के साथ और शिखर सम्मेलन में की गई घोषणाओं के साथ सभा–पटल पर रखा गया।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं एल.टी. 7068/2003]